सामान्य सभा दिनांक 16/03/2018 कार्यवाही विवरण

दिनांक 16/03/2018 को अपरान्ह 12:00 बजे सभापति महोदय द्वारा सभी उपस्थित जनों की उपस्थिति में सभा राष्ट्रगीत के साथ प्रारम्भ हुआ।

बैठक जारी एजेण्डा कार्यसूची अनुसार

क – पूर्ववर्ती सम्मेलन के कार्यवाही की पुष्टि करना यदि उसकी पुष्टि उस सम्मेलन में न हुई हो 11:30 तक (निरंक)

ख – पार्षदो द्वारा पूछे गये प्रश्न तथा उसके उत्तर 11:30 से 12:30 तक

ग – (निरंक)

घ – (निरंक)

सभापति महोदय द्वारा ठीक 01:00 बजे लंच विराम की घोषणा की गई।

पुनः 02:00 बजे सभा सभा प्रारंभ की गई। जारी विषय सूची में चर्चा प्रारंभ हुई :–

ड़ **प्रस्ताव क्रं.** ०1- सर्वसम्मति से स्वीकृत।

ड़ **प्रस्ताव क्रं.** ०2 - सर्वसम्मति से स्वीकृत।

ड़ **प्रस्ताव क्रं.** ०3- सर्वसम्मति से स्वीकृत।

ड़ **प्रस्ताव क्रं.** ०4- सर्वसम्मति से स्वीकृत।

ड़ **प्रस्ताव क्रं.** ०5- सर्वसम्मति से स्वीकृत।

ड़ **प्रस्ताव क्रं.** ०6 - देवबलौदा महोत्सव 2018 आयोजन के संबंध जैसे ही उपरोक्त विषय का सचिव द्वारा वाचन किया गया श्री संतोष तिवारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा जानकारी चाही गई की महोत्सव मनाने का सक्षम स्वीकृति या निर्णय लेने का अधिकार एम आई सी को है या परिषद् को ? श्री लावेश मदनकर ने धारा 25 एवं 40 का पालन नही करने का आरोप लगाया। विधि प्रभारी ने 09.00 लाख रू व्यय को अनुमानित व्यय बताया इस पर विपक्षी पार्षद इसका विरोध करने लगे एवं श्री संतोष तिवारी, श्री लावेश मदनकर, श्री राजेश दाण्डेकर, श्री बहलराम साहू, श्री रामकुमार सूर्यवंशी सहित सभी कांग्रेसी एवं निर्दलीय पार्षद नारेबाजी करने लगे की तानाशाही नही चलेगी का नारा लगाते हुएए शोर गुल करने लगे।

1. श्री दिलीप पटेल :– प्रस्ताव कं. 05 परिषद् स्वीकृति की प्रत्याशा में एम आई सी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर अग्रिम कार्यवाही की गई है इसी भांति प्रस्ताव कं. 06 भी एम आई सी द्वारा परिषद् स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गई। हमे इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करना चाहिये।
2. सभापति :– परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुये संबंधित विषय के लिये आयुक्त/महापौर/एम आई सी से संवैधानिक जवाब प्रस्तुत करने कहा गया।
3. आयुक्त :– प्रकरण एम आई सी से स्वीकृति प्राप्त है।
4. महापौर :– आने वाले वर्ष में इस वर्ष जो त्रुटि हुई है उसे सुधार ली जावेगी परिषद् के अनुरूप महोत्सव का आयोजन होगा वर्तमान में इसे स्वीकृति प्रदान किया जावे क्योकि कार्यकम का आयोजन हो चुका है।

विपक्षी पार्षदो द्वारा महोत्सव आयोजन के लिये अपनायी गई प्रस्ताव प्रक्रिया को विधि विरूद्ध निरूपित करते हुये प्रस्ताव को अवैधानिक घोषित करने की मांग करने लगे। एम आई सी प्रभारी श्रीमती सुषमा जेठानी :– महोत्सव के आयोजन में किसी भी प्रकार से तानाशाही कार्य नही हुआ प्रकरण एम आई सी से विधिवत स्वीकृति प्रदान की गई। यह धार्मिक अयोजन है इससे राजनीति न हो इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया जावे।

श्री संतोष तिवारी, श्री राजेश दाण्डेकर, श्री लावेश मदनकर ने प्रस्ताव को विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज करने की मांग करने लगे।

1. श्री रामखिलावन वर्मा :– प्रस्ताव को जनहित में सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करने लगे।
2. श्री फिरोज फारूकी :– नियमानुसार महोत्सव आयोजित किया गया है इसे सर्वसम्मति से पारित करना चाहिये।
3. श्री पार्थो बाग :– महोत्सव के विषय को सर्वसम्मति से पारित करना चाहियें।

इस पर श्री राजेश दाण्डेकर, श्री संतोष तिवारी, श्री लावेश मदनकर ने संबंधित विषय को खारिज करने की मांग करने लगे।

अंत में सभापति महोदय द्वारा सभी के विचार सुनने के पश्चात् आसंदी से घोषणा कि गई महोत्सव मनाने की प्रकिया में त्रुटि हुई है। चुने हुये जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिये। जब आधे से अधिक पार्षद किसी विषय पर सुझाव देते है तो हमे उन विषय पर विचार करना चाहिये।

वर्तमान में देवबलौदा महोत्सव आयोजन के प्रकरण को स्थगित करते हुये शासन को प्रेषित किया जावे। शासन से जो भी मार्गदर्शन/दिशा निर्देश प्राप्त होगा। जानकारी के साथ नस्ती को पुनः आगामी बैठक में रखा जावे का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

ड़ **प्रस्ताव क्रं. 07-** सर्वसम्मति से स्वीकृति।

च :– सभापति महोदय द्वारा निर्धारित समय 04:00 बजे सभी पार्षदो से लोक महत्व के विषय पर व्यक्तव्य देने हेतु आमंत्रित किया :–

4. श्रीमती कुंती लहरे पार्षद :– नगर निगम क्षेत्र को ग्रीन नगर निगम बनाने हेतु सुझाव।
5. महापौर महोदया द्वारा इस विषय पर कहां गयास कि आने वाले वर्ष में और अधिक संख्या वृक्षारोपण कर पौधो को संरक्षित किया जावेगा।
6. श्री बहलराम साहू पार्षद :– हथखोज ग्रामीण क्षेत्रो के तरफ भी सिटी बस चलाने की बात कही गई।
7. श्री रामकुमार सूर्यवंशी पार्षद :– विकास कार्यो की समय सीमा निर्धारित होनी चाहियें।
8. श्री सुशील शर्मा एल्डरमेन :– निहारिका व्यावसायिक परिसर भिलाई–3 में पसरे का निर्माण हो।
9. श्री राजेश दाण्डेकर पार्षद :– सिरसाचौक में जो दुकान लिया है और अनुबंध शर्तो का उल्लंघन कर रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाये। एक दुकानदार द्वारा मटन, एगरोल खुले आम बेचा जा रहा है शराब के नशे में धुत रहने के कारण महिलाओं का आना जाना बंद हो गया । मोहल्लेवासी परेशान है शीघ्र उचित कार्यवाही किया जावे।
10. श्री लावेश मदनकर पार्षद :– सभा के बैठक सीटिंग/माईक व्यवस्था ठीक करने, क्षेत्र के शासकीय भूमि चिन्हांकित किया जावे। 100 बिस्तर अस्पताल की मांग, नामांतरण शुल्क के लिये परेशान न किया जाये। मेरे वार्ड में पेयजल की बहुत समस्या है 2007–08/2011–12 आर्थिक जाति समाजिक जनगणना सूची उपलब्ध कराये, सौभाग्य योजना पेंशन योजना की मदवार जानकारी दिया जावे। वार्ड कं. 13/14 रेल्वे क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग कनोल से गुजरता है पुलिया बनाये जाये। मॉल/दुकान आदि बनाये है जिसमें कम आय वर्ग के हुनरमंद बच्चे हेतु छोटी दुकान बनाया जावे। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये भिलाई–3 राम मंदिर के पास खाली जमीन को शासकीय योजना हेतु रखी जाये।

समय 04:20 बजे आसंदी से सभापति महोदय द्वारा सभा समापन की घोषणा की गई।

दिनांक :– 16.03.2018

सचिव
(अश्वनी चंद्राकर)

सभापति
(विजय जैन)

D:\S.!.